प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
29/10/25	वकुला० उप० । बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली बहस दि. 27/11/25 को पेश हो।
27/11/25	वकु० उप० । बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रा० वास्ते बहस दि० 11/12/25 को पेश हो।
11/12/25	त्रावली पश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा० उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/26 को पेश हो
8/1/26	त्रावली पश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा० उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/1/26 को पेश हो
22/1/26	वकु० उप० । बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि. 28/1/26 को पेश हो।
28/1/26	वकु० उप० । बहस उभयपक्ष सुनकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को तर्कमलावाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया। आदेश विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले मे० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो/ बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

प्रार्थना पत्र संख्या / सन 2018

(1) ताहिरा पुत्री स्व.युसुफ उर्फ ...
बीगोद तहसील माण्डलगढ जिला ...
(2) मेहरून पुत्री स्व.युसुफ उर्फ ...
बीगोद तहसील माण्डलगढ ...
(3) शमीम पुत्री स्व.युसुफ उर्फ ...
बीगोद तहसील माण्डल...
(4) जायदा पुत्री स्व.युसुफ ...
बीगोद तहसील माण्...
(5) अब्दुल कययुम ...
ग्राम बीगोद त...
(6) सलीम पुत्र ...
बीगोद त...
(7) मोहम्मद ...
निवासी ...
(8) नूरज...
बीगो...

9/10/18

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
अपीलान्टस की ओर से श्री प्रदीप शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 9 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो.सं. 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 01.05.2008 ग्राम धनेश्वर से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार भंवरलाल आ. श्रवण कुम्हार के फोत हो जाने पर उसके वारिसान् के नाम तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

बहस उपभ पक्षकारान् सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा संख्या 87 नवीन खसरा संख्या 1113/87 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम धनेश्वर में स्थित है उक्त आराजी भंवरलाल आ. श्रवणलाल कौम कुम्हार निवासी धनेश्वर की गैर खातेदारी की भूमि थी। खातेदार भंवरलाल द्वारा उक्त कृषि भूमि अपीलान्टस 1 लगायत 7 के पिता व अपीलांट सं. 8 के पति इसब आ. दाउद जाति मुसलमान लुहार निवासी बीगोद जिला भीलवाडा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.5.1981 को विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दिनांक 30.5.1981 को ही भूमि का कब्जा सम्भला दिया था, किन्तु अनभिज्ञता के कारण उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण खरीददार अपने नाम पर तस्दीक नहीं करवा सके एवं जिस कारण उक्त भूमि खातेदार भंवरलाल द्वारा बेचान करने के बाद भी उनके ही खाते में चलती रही एवं भूमि पर अपीलांटस के पिता व पति इसब उर्फ युसुफ एवं तत्पश्चात् अपीलांटस निरन्तर निर्बाध रूप से 34 वर्ष से काबिज काश्त करते रहे है। जमाबंदी में पूर्व खातेदार का नाम दर्ज रह जाने मात्र से ही खातेदार भंवरलाल आ. सरवण की मृत्यु होने के पश्चात् रेस्पोडेंटस ने यह जानते हुए भी कि उक्त भूमि उनके पिता द्वारा इसब आ. दाउद मुसलमान को बेचान की हुई है, इसके उपरान्त भी उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 584 दिनांक 1.5.08 गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके स्वीकृत करवाकर अवैध रूप से तस्दीक करवा लिया है एवं खाते में नाम दर्ज हो जाने से नाजायज लाभ उठाने की मंशा से उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा होने पर इस तथ्य की जानकारी अपीलांटस को हुई। तब पटवारी हल्का से दिनांक 6.7.2015 को नामान्तरकरण खुल जाने की जानकारी

सत्य प्रतिलिपि
13.5.16

सहायक कोषाधिकारी
बून्दी (राज०)

जिला कलेक्टर; बून्दी

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/1/26	पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आधिपत्य व खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि खाता सं0 नया 15 पुरान 79 ख0सं0 441/357 रकबा 0.6475 हैक्टे0 वाके ग्राम खेरोली पटवार क्षेत्र बल्लोप में प्रार्थीगण का 1/2-1/2 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि 5 बीघा 5 बिस्वा थी जिसमें से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त कर ली गई एवं शेष 4 बीघा भूमि बची, जिसमें 2-2 बीघा भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आयी जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के समीप उत्तरी साईड अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 365/3 रकबा 0.8498 हेक्टे स्थित है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया तो 17 बिस्वा भूमि कम पाई गई जिसे अप्रार्थीगण ने दबा रखा था जिसे सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से पुनः प्राप्त कर ली। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति होने से प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इस बाबत धमकी भी लगायी। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा नही करे, कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 365/3 रकबा 0.8498 हेक्टे वाके ग्राम खेरोली में स्थित है प्रार्थीगण ने किस दिनांक को सीमाज्ञान करवाया वर्णन नही किया गया ना ही मुझे वक्त सीमाज्ञान सुचित किया गया था, प्रतिप्रार्थीगण ने कभी भी मुझ प्रार्थी से 17 बिस्वा भूमि का कब्जा नही लिया है। वरन प्रार्थीगण उक्त वाद प्रस्तुत कर मेरी खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इस बाबत मेरे द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिप्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि ख0सं0 365/3 रकबा 0.8498 हेक्टे वाके ग्राम खेरोली पर जबरन कब्जा नही करने बाबत रोकने हेतु प्रतिप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिप्रार्थीगण ने काउन्टर क्लेम को खारिज अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम एवं जवाब काउन्टर क्लेम, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस उभय पक्ष पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचें है कि वाद वर्णित आराजी ख0सं0 441/357 रकबा 0.6475 हैक्टे0 वाके ग्राम खेरोली व ख0सं0 365/3 रकबा 0.8498 हेक्टे वाके ग्राम खेरोली समीपस्थ कृषि भूमियॉ है जिनकी मेड आपस में सटी हुई है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमा सम्बन्धित विवाद है जिसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तय होना है एवं मूल वाद के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना के मध्यनजर पडोसी खातेदार पक्षकारान् के मध्य शान्ति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं काउन्टर क्लेम अप्रार्थी/प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0सं0 441/357 रकबा 0.6475 हैक्टे0 वाके ग्राम खेरोली पर अप्रार्थीगण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0सं0 365/3

प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रकबा 0.8498 हेक्टे वाके ग्राम खेरोली पर प्रतिप्रार्थीगण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कृत्य परस्पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो ही ना करे ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।